न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर

राजेन्द्र बनाम भगवाना

01/2018 अपील

21/8/3 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 3/9/3 को पेश हो।

अर्जी पर बहस के आ. 3/9/3 के लिए कार्यवाही

3/10/3 पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 12/11/3 को पेश हो।

12/11/3 पत्रावली पेश। अधि. उभयपक्ष हाजिर। अधिवक्ता अपीलीगण ने बहस हेतु अवसर चाहा। पूर्व में कई अवसर दिये जा चुके हैं, अवसर बंद किया जाता है। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। बहस में उपस्थित आवेदन रहे तथा अधिवक्ता अपीलीगण द्वारा आवेदन के तथ्यों का खण्डन किया। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अर्जी के हितों का निर्धारण मूल अपील में किया जाता है तथा मूल अपील के निर्धारण तक विवादित भूमि के मौके व रिकार्ड की स्थिति में परिवर्तन करने पर अर्जी के हित प्रभावित हो सकते हैं तथा वाद बहुलता बढ़ने की संभावना है अतः प्रार्थना-पत्र अर्जी को स्वीकार किया जाता है तथा अपीलीगण के जरिये आज्ञाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ताहरानी अपील विवादित भूमि ख.नं. 1223, 1224, 1224/1694, 1571, 1572, 1224/1693 कुल किता 06 कुल रकबा 7.88 हैक्टर वाके ग्राम पंचायत तहसील व जिला सीकर के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली कैलाश कुमार होकर नम्बर लेकर हो, दाखिल दफ्तर हो। नियमानुसार हस्ताक्षर से डिक्टेट किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर